कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विधालय अध्यापक सीधी भर्ती 2018 लेवल द्वितीय के संबंध में

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा उक्त भर्ती अन्तर्गत तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय के विभिन्न पदो पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 31.07.2018 को विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है इस संबंध मे विभाग को प्राप्त/दूरभाष के माध्यम से निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे है जिनके संबंध मे स्थिति निम्नानुसार है:–

प्रश्न 1– ऑनलाइन आवेदन भरने के संबंध में विभिन्न प्रकार की समस्याएं ?

उत्तर– विभाग के द्वारा विस्तृत विज्ञापन विभाग की वैबसाईट पर दिया गया है अतः प्रत्येक अभ्यर्थी उसका दो–तीन बार अध्ययन करे। विभाग के द्वारा विस्तृत निर्देश विस्तृत विज्ञप्ति में दिये गये है जिनके संबंध में भी आशार्थियों के द्वारा बार–बार दूरभाष के माध्यम से विभाग को शंकाओं के समाधान के चाहा जा रहा है। तृतीय श्रेणी अध्यापक पद की योग्यता एवं अन्य शर्तो के संबंध मे विज्ञप्ति/पंचायत राज विभाग की बेबसाइट पर उपलब्ध पंचायती राज नियम/एन सी टी ई की बेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचनाओं का अध्ययन कर स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करे।

प्रश्न 2– विभाग को ज्यादातर आवेदन पत्र भरने मे टेक्निकल प्रोब्लमस आ रही है फिल्ड से लगातार फोन आ रहे है इन्हें सही करावे ?

उत्तर– यदि आवेदन पत्र भरने में किसी भी प्रकार की टेक्निकल प्रोब्लमस आ रही है (आवेदन सबमिट/आवेदन पत्र पूर्ण होने से पूर्व बाहर आ जाये/आवेदन पत्र भरते वक्त बीच मे रूक जाये/अथवा अन्य कोई टेक्निकल समस्या) तो दूरभाष नंबर 0294-3057541 rishi.sharma@e-connectsolutions.com,- vikram.chauhan@e-connectsolutions.com संपर्क करे। विज्ञप्ति के संबंध में कोई अथवा आवेदन पत्र के कॉलम में कोई समस्या है तो विभाग के नंबर 0151- 2207047पर संपर्क करें।

प्रश्न–3 क्या एक विषय मे एक से अधिक आवेदन किया जा सकता है ?

उत्तर– एक से अधिक आवेदन करने पर अंतिम आवेदन मान्य होगा एवं यदि अभ्यर्थी के द्वारा अंतिम आवेदन मे किसी भी प्रकार की त्रुटि की जाती है और ऐसी त्रुटि के कारण चयन से वंचित रहता है तो यह अभ्यर्थी के स्वयं की जिम्मेवारी रहेगी व त्रुटि सुधार हेतु किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जायेगा एवं अंतिम आवेदन के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा करवाना अनिवार्य होगा यदि निर्धारित शुल्क जमा नही करवाया जाता है तो ऐसा आवेदन स्वीकार ही नही होगा।

प्रश्नः–4 क्या एक से अधिक पद हेतु आवेदन किया जा सकता है ?

उत्तर– हां, यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पद हेतु पात्रताएं रखता है, तो एक से अधिक पद मे आवेदन कर सकता है तथा प्रत्येक आवेदन हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाना आवश्यक है।

प्रश्न 5 – क्या ऑफ लाईन आवेदन पत्र भरा जा सकता है ?

उत्तर– नहीं । किसी भी प्रकार से ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।

प्रश्न 6 – Technical समस्या आ रही है कि किसी आशार्थी के द्वारा एकsso id से आवेदन पत्र भर दिया गया है वह किसी भी कारणवश नया आवेदन पत्र भरना चाहता है तो कम्प्यूटर पर लिखा आता है कि आपके द्वारा पूर्व में आवेदन पत्र भर दिया गया है तो क्या किया जाना चाहिए ?

उत्तर – अभ्यर्थी नवीनsso id से नया आवेदन पत्र भर सकता है व नये आवेदन का निर्धारित शुल्क जमा करवाना अनिवार्य होगा।

प्रश्न 7 – क्या ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट/फोटो प्रति अपने पास सुरक्षित रखनी है ?

उत्तर – जी हां। भविष्य में किसी संदर्भ में देखने हेतु/चयन के समय आवेदन पत्र की आवश्यकता रहेगी अतः इसे अपने पास सुरक्षित रखें। इसके अतिरिक्त आवेदन पत्र की प्रति अभी किसी भी कार्यालय को नहीं भिजवाई जानी है निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद आवेदन क्रमांक जनरेट होते है अतः यह सुनिश्चित कर लेवे कि आवेदन क्रमांक जनरेट हुए है अथवा नही ? यदि आवेदन क्रमांक जनरेट नही हुए है इसका यह अर्थ है कि आपका आवेदन जमा नही हुआ है। इस संबंध मे विज्ञप्ति मे आवेदन भरने से संबंधित बिन्दुओ का पूर्ण अध्ययन करे।

प्रश्न 8 – आशार्थियों के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय की जाने वाली मुख्य गलतियां जिनका विशेष ध्यान रखा जावे।

उत्तर– यदि अभ्यर्थी ओबीसी नॉन क्रिमीलियर/एससी/एसटी/विधवा/विवाह विच्छिन्न/खिलाडी/भू.पूर्व सैनिक/विकलांग आशार्थी है तो वह एक पुनः स्पष्ट रूप से चैक कर लेवे की उसने अपनी कैटेगिरी का आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है अथवा नहीं। इसके अलावा अन्य आशार्थी भी चैक कर लेवें कि कहीं उसने भी इसके अनुसार अपने आवेदन में कहीं गलती से तो आवेदन में कॉलम तो नहीं भर दिया गया है। क्योंकि एक बार आवेदन पत्र भरने के पश्चात उसमें किसी भी प्रकार के संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई संशोधन अपेक्षित है तो उसे नया आवेदन पत्र भरना होगा।

प्रश्न 9– ऑन लाइन आवेदन मे आरटेट/रीट के संबंध मे कोनसी सूचनाएं भरनी है

उत्तरः– ऑन लाइन आवेदन मे आरटेट/रीट के रोल नंबर(नामांक) भरने है। रीट प्रमाण–पत्र के क्रमांक नही भरने है। रीट/आरटेट के पूर्णांक 150 ही भरने है व लेवल द्वितीय मे जो भी प्राप्तांक है वही भरने है। अभ्यर्थी के द्वारा सही रोल नंबर नही भरने पर रीट/आरटेट के अंको का ऑन लाइन सत्यापन नही हो पायेगा व सत्यापन के अभाव मे यदि कोइ अभ्यर्थी चयन से वंचित रहता है तो यह अभ्यर्थी के स्वयं की जिम्मेवारी होगी।

प्रश्न 10 –जिस विषय हेतु आवेदन किया जा रहा है विज्ञप्ति के अनुसार वह विषय स्नातक या अतिरिक्त विषय स्नातक मे एवं RTET/REET में होना आवश्यक है।

उत्तर– जी हां

प्रश्न–11 क्या विधवा/परित्यक्ता महिलाओ एवं विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को रीट/आरटैट के न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत मे छूट देय है ?

उत्तर– नही, तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर सीधी भर्ती हेतु आरटेट/रीट मे न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक होने अनिवार्य है। विधवा/परित्यक्ता/विकलांग/अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ बी सी/एम बी सी/महिला किसी भी वर्ग को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको मे छूट देय नही है केवल टी एस पी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए आरटेट/रीट मे न्यूनतम 36 प्रतिशत अंको तक की छूट देय है एवं इनको आरटेट 2011 के मामले मे यह छूट देय नही है।

प्रश्न–12 क्या बी एस टी सी/बी एड प्रशिक्षण पाठयक्रम मे अध्ययनरत अभ्यर्थी आवेदन कर सकते है?

उत्तर– नहीं, ऑनलाइन आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक तक निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

प्रश्न 13 –आवेदन भरते समय Education Qualificationsके कॉलम 1 Secondary में Subject Groupमें क्या भरा जाना है ?

उत्तर– यदि Subject नहीं है तो NA भर सकते है।

प्रश्न 14 –आवेदन भरते समय Education Qualifications के कॉलम क्या भरा जाना है ?

उत्तर–

- विषय ग्रुप में science/arts /commerce या जो भी अकेडमिक ग्रुप है,भरा जाना है ।
- विषय के कॉलम में सारे ऐच्छिक विषय भरने है । post graduate होने पर केवल एक विषय भरा जाएगा ।
- स्नातक की लाइन में केवक स्नातक के ऐच्छिक विषय ही भरने है additional का विषय यहाँ नहीं भरने है।
- बी.एड. अथवा बीएसटीसी के अध्यापन विषय भरने है ।
- रीट या टेट के आगे इनमें जो विषय उतीर्ण कर रखे है, वे विषय भरने है।
- केवल बीएसटीसी होने पर बीएड वाली लाइन में ही बीएसटीसी के विषय भरने है

प्रश्न 15 –आशार्थी को कौन – कौन सी अंकतालिका स्कैन करनी है ?

उत्तर–(1)स्नातक की अंकतालिका तथा यदि अतिरिक्त विषय में स्नातक उत्तीर्ण कर रखी है तो दोनों अंकतालिकाएँ स्कैन करनी है।

(2) टेट/रीट की अंकतालिका स्कैन करनी है।

3 उक्तानुसार अंक तालिकाओ पर स्वयं के हस्ताक्षर कर अपलोड करनी है।

प्रश्न 16 –आवेदन भरते समय Education Qualifications numbers के कॉलम मे क्या भरा जाना है ?

उत्तर–

- 10 वीं / 12 वीं graduation /post graduate / बीएड / बीएसटीसी /टेट अथवा रीट में कुल अंक व प्राप्तांक भरने है।
- सभी परीक्षाओं के कूल अंक व इनमें से प्राप्तांक भरने है ,उदाहरण के तौर पर स्नातक अंतिम वर्ष की अंक तालिका में तीनों वर्षों के कूल अंक व प्राप्तांक अंकित होते है वे अंक ही भरने है , केवल एक विषय के अंक नहीं भरने हैयह ध्यान रखें ।
- स्नातक परीक्षा Additional subject में कर रखी हो तो उसके अंक यहाँ नहीं भरने है। additional के लिए subject फॉर graduation वाली टेबल में अलग से अंक व विषय भरने है

प्रश्न 17–Education Qualifications के कॉलम 6 में Duration (in months)की अवधि में क्या भरा जाना है ?

उत्तर–10वीं/12वी के लिए 12, बीएड के लिए 12 ,बीएसटीसी के लिए 24, स्नातक के लिए 36 , स्नातकोत्तर के लिए 24 तथा रीट/टेट के लिए 00 भरना है।

<u>नोट-</u> यदि किसी आवेदक द्वारा दिनाक 26/09/2017 को या इसके बाद फार्म भरा जा चुका है व duration के आगे कोई अलग से अवधि भर दी गई है तो उसके आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा व उसे इस कारण से दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रश्न 18–Education Qualifications के admission date/ passing date में क्या भरा जाना है ?

उत्तर–(1) Admission date- केवल बीएड / बी एस टी सी की प्रवेश तिथि अंकित करनी है ,

प्रश्न 19 – स्नातक के विषय (Subject for Graduation) कैसे भरे ?

उत्तर–

- सबजेक्ट ग्रुप में चार समूह है - आपके स्नातक परीक्षा में जो ऐच्छिक विषय है उसके अनुसार विषय ग्रुप सलेक्ट कर उसके आगे के कॉलम में दिये गए विषय को सलेक्ट करना है, बीए में इंग्लिश होने पर language ग्रुप सलेक्ट कर आगे अँग्रेजी सलेक्ट करना है व अन्य के लिए sst group / बीएससी होने पर साइन्स मेथ्स ग्रुप सलेक्ट कर उसके आगे विषय भरने है है आपके द्वारा जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है वह विषय स्नातक में एच्छिक

विषय के रूप में होना अनिवार्य है उस का सब्जेक्ट ग्रुप सिलैक्ट कर वह विषय भर देवे उसके बाद यदि उस विषय के अलावा दूसरे विषय ऑनलाइन आवेदन में नहीं है (उदाहरण-कम्पुटर साइन्स,साइकोलोजी,commerce) तो any other को सलेक्ट करे।

- यदि आवेदक द्वारा जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है, स्नातक में वह विषय नहीं है(उदाहरण कॉमर्स) व आवेदक द्वारा अतिरिक्त विषय के रूप में आवेदित विषय में स्नातक उत्तीर्ण कर रखी है तो ऊपर की तीन लाइन में any other सलेक्ट करना है उसके बाद चोथी लाइन में additional subject group सलेक्ट कर उसके आगे additional Subject तथा उसके कूल अंक व प्राप्तांक व अन्य सूचनाएँ भरनी है ।

नोट- आवेदक द्वारा जिस विषय में आवेदन किया जा रहा है उसकी स्नातक परीक्षा में वह विषय होने पर additional subject का विवरण नहीं भरना है । स्नातक में आवेदित विषय नहीं होने पर ही additional subject का विवरण भरना है

प्रश्न 20–यदि किसी आशार्थी द्वारा चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम (बीएबीएड/बीएससीबीएड) के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है तो उसके अंको को किस तरह जोडा जाना है ?

उत्तर– चार वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम की अर्हता की स्नातक उपाधि की परीक्षा के शैक्षिक विषयों के प्राप्तांक प्रतिशत निकालने के लिए मान्य होंगे। (इनमें अधिस्नातक/बीएड के प्राप्ताक को सम्मिलित नहीं किया जाना है)व **प्रशैक्षिक विषयों के अंक अलग से निकालकर बीएड़ वाली लाइन में भरना है ।**

प्रश्न 21– स्नातक के कौनसे अंक जोडे जाने है।

उत्तर– स्नातक के अंकों में अंतिम वर्ष (तीनो वर्ष के) के कुल प्राप्तांकों का ही अंकन किया जाना है। इसमें केवल विषय के प्राप्तांक नहीं जोडे जाने है।

प्रश्न 22– यदि किसी आशार्थी द्वारा अतिरिक्त विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की गयी है तो उसके अंको को किस तरह जोडा जाना है ?

उत्तर–यदि किसी आशार्थी ने स्नातक ऐसे अतिरिक्त विषय (उदाहरणार्थ–अंग्रेजी) में उत्तीर्ण की है उस विषय (उदाहरणार्थ–अंग्रेजी) के लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है तो बिन्दु संख्या 21 के अनुसार अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक भरे जाने है, जो कि अपने आप स्नातक के अंको के साथ जुडकर 30 प्रतिशत वाले कॉलम में कम्प्यूटर से आ जायेगा।(**स्नातक के साथ अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक जोड़कर नहीं भरने है**) यदि जिस विषय (उदाहरणार्थ–अंग्रेजी) के लिए आवेदन किया जा रहा है और वह विषय (उदाहरणार्थ–अंग्रेजी) स्नातक में है तो अतिरिक्त विषय के कॉलम मे नहीं भरा जाना है ना ही उसके अंक जोडे जाने है।

प्रश्न 23– क्या अन्य राज्य के निवासी आवेदन कर सकते है ?

उत्तरः– अन्य राज्य के निवासी सामान्य अभ्यर्थी के रूप मे आवेदन कर सकते है।

प्रश्न 24– जाति–प्रमाण पत्र के संबंध मे?

उत्तरः– ओबीसी/एमबीसी अभ्यर्थियों के लिए सक्षम स्तर से जारी ओबीसी नॉन क्रिमीलेयर का प्रमाण पत्र जो 12 माह से पुराना नही हो। विवाहित महिलाओं के लिए पिता की आय के आधार पर जारी प्रमाण–पत्र मान्य होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियें के जाति प्रमाण–पत्र मे उनके नाम के आगे उनके पिता का नाम से जारी होना अनिवार्य है।

प्रश्नः25– क्या टी एस पी क्षेत्र हेतु विज्ञापित पदो के लिए नॉन टी एस पी क्षेत्र के निवासियों के द्वारा आवेदन किया जा सकता है?

उत्तरः– नही।

प्रश्नः26– नॉन टी एस पी क्षेत्रो के विज्ञापित पदो के लिए टी एस पी क्षेत्र के निवासियों के द्वारा आवेदन किया जा सकता है?

उत्तरः– हां किया जा सकता है।

प्रश्न 27–किसी अभ्यर्थी के द्वारा जान बुझकर गलत दस्तावेज अपलोड करने पर क्या होगा

उत्तर ऐसे अभ्यर्थीयो के विरूद्व कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न–28 आशार्थी को जिले की प्राथमिकता में क्या सभी जिले भरने आवश्यक है चाहे उसमें रिक्तिया चाहे ना भी हो ?

उत्तर– जी हां। आशार्थी को सभी जिले भरे जाने आवश्यक है (टीएसपी के लिए 05 व नॉन टीएसपी के लिए 31 जिले भरे जाने आवश्यक है चाहे पद विज्ञापित हो अथवा नहीं)। नियुक्ति के लिए जिनसें की प्राथमिकता के आधार पर सावधानीपूर्वक भरी जायें, बाद में किसी भी प्रकार की संशोधन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

10.8.18

उप निदेशक (पं राज)
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।